

56
R 1470-II/15

विपक्षी

प्र० क० / 2014-15 निगरानी

बाबु खँ पिता अमीर खँ निवासी ग्राम बोलाई पृथ्वी
ग्राम खण्डेरीया तहसील गुलाना जिला-शाजापुर म,प्र
..... निगरानीकर्ता

बनाम

गुलाब खँ पिता मुनीर खँ पिंजारा निवासी ग्राम
बोलाई तहसील गुलाना जिला-शाजापुर म,प्र,
..... विपक्षी

निगरानी अतर्गत धारा-50 म,प्र,भू रा,संहिता-1959
न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी-शाजापुर
के प्र० क० 52 अपील 2013-14 आदेश दिनांक -
22/05/2015 एवं तहसील गुलाना के प्र० क० 116
अ-6, 2002-2003 आदेश दिनांक 28/06/2003 से
असंतुष्ट होकर अवधि में पेश है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से

10/11/15

श्री. विपक्षी निवासी कंठे.
बोलाई तहसील गुलाना
प्र० क० 116
09/06/15

विपक्षी
बाबु खँ पिता
प्र० क० 116
शाजापुर


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1470-दो/2015

जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-6-2015	<p>आवेदक अभिभाषक श्री विजय तिवारी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क किए।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 52/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि यह निगरानी त्रुटिवश प्रस्तुत हो गई है, अतः इसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस दे दिया जाए।</p> <p>3/ प्रकरण का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22-5-15 को अंतिम आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में अपील का प्रावधान है। अतः आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुये प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (डॉ० मधु खरे) सदस्य</p>	